P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

लोकतंत्र में समाचार–पत्रों की परिवर्तित होती भूमिका का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

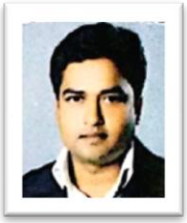

प्रवीण कुमार
शोध छात्र,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून, उत्तराखंड

परितोष सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
डी0बी0एस0 पीजी कॉलेज,
देहरादून, उत्तराखंड

सारांश

समाचार–पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है, जिसमें मुख्यतः सामाजिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद, व्यक्तित्व, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां कागज पर मुद्रित होती हैं। समाचार–पत्र , संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार–पत्र प्रायः दैनिक होते हैं, लेकिन कुछ समाचार–पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक भी होते हैं। आज हम घर बैठे दुनिया की हर देश हर कोने की जानकारी समाचार–पत्र में पढ़ सकते हैं। समाचार–पत्र केवल सूचनाओं को प्रदान करने का साधन मात्र नहीं रहा है वरन यह आम–जनमानस में जागरूकता अभिव्यक्ति एवं वैचारिक प्रसार का माध्यम भी रहा है। जिस कारण इसे लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता रहा है। परंतु आज समाचार–पत्रों की भूमिका में बदलाव आ रहा है तथा समाचार–पत्र भी मीडिया इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जहां लाभ कमाने के उद्देश्य की प्रमुखता बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं समाचार–पत्रों के मार्ग में परिवर्तन आया है, उसकी निष्पक्षता, निर्भिकता पर प्रश्न–चिन्ह लगा है। भारत में समाचार–पत्र अपने मुख्य उद्देश्य जैसे सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, से आगे निकल चुका है। पश्चिमी देशों की तरह ही भारत में भी समाचार–पत्र कुछ वर्ग–समूह, संस्था, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों आदि के लिए एजेंडा निर्माण का कार्य करने लगा है। समाचार–पत्रों में राजनीतिक दखलअंदाजी एवं प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। समाचार–पत्रों की भाषा और शैली में भी बदलाव देखा जा है। समाचार–पत्रों की बढती धनकेन्द्रिता भी इसके स्वरूप, भूमिका एवं उद्देश्य में बदलाव देखा जा रहा है।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, समाचार–पत्र, समाज, राजनीतिक दबाव, धन–केन्द्रिता, चुनाव।

प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 को देश जब स्वतंत्र हुआ, देश का समाचार–पत्र भी नई ऊर्जा के साथ देश को नया आयाम प्रदान करने तैयारी कर रहा था। देश के संविधान ने समाचार–पत्र को संविधान में अलग से जगह नहीं दी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(a) में वर्णित वाक स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में स्थापित हो गया। प्रखर शैली, लोकतंत्र के प्रहरी और आम–जनमानस से जुड़ाव के कारण ही समाचार–पत्र एक नये स्वरूप को स्थापित किया। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद समाचार–पत्र को चौथा स्तम्भ माना गया है। विधायिका चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है, जो देश के सुचारू संचालन के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका इसे धरातल पर विधायिका के सोच के अनुरूप लागू करती है, जबकि न्यायपालिका यह निर्धारण करती है कि जिस उद्देश्य और विचार के तहत कानून बनाया गया है, उसे उसी रूप में लागू किया गया है या नहीं। साथ ही न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड सुनिश्चित भी करती है, ताकि समाज में कानून का राज स्थापित हो सके। समाचार–पत्र की भूमिका लोगों तक समाज एवं कानून की जानकारी पहुंचाने, इसके लाभ और नुकसान की जानकारी देने, सरकार की योजनाओं एवं क्रियाकलापों तथा आम–जनमानस के मध्य एक संयोजक कड़ी के रूप में काम करने तथा समाज में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करने में काफी अहम है। प्रजातंत्र में सजग प्रहरी की भूमिका को देखते हुए ही चौथे स्तम्भ के रूप में समाचार–पत्र को जाना जाता है। इतना ही नहीं सरकार भी अपनी योजना, कानून–व्यवस्था की जागरूकता के लिए समाचार–पत्र को ही माध्यम बनाती है।

सुदूर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम समाचार–पत्र के महत्व को अधिक स्पष्ट करता है। जब आम आदमी यह कहता है कि उक्त जानकारी समाचार–पत्र के माध्यम से मिली है, तब यह स्पष्ट होता है कि समाचार–पत्र अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहा है। जिस समाज में समाचार–पत्र स्वतंत्र रूप से काम करता है, वहां प्रजातंत्र की नींव गहरी और सुदृढ़ होती है। वर्तमान भौतिकवादी व आधुनिक समाज में, समाचार–पत्र के स्वरूप में भी बदलाव आया है। प्रतिस्पर्धा और अत्यधिक व्यावसायिकता ने समाचार–पत्र के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित भी किया है। भारत में समाचार–पत्र अपने मुख्य उद्देश्य जैसे सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, से आगे निकल चुका है। अब पश्चिमी देशों की तरह ही समाचार–पत्र कुछ वर्ग–समूह, संस्था, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों आदि के लिए एजेंडा निर्माण का कार्य करने लगा है। समाचार–पत्र अब समाज सेवा से निकल कर इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। आज समाचार–पत्र का स्वामित्व पत्रकारों के हाथों में न होकर बड़े–बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, परिणामतः अन्य व्यवसाय की तरह ही समाचार–पत्र को भी देखा व साध्य तथा साधन बनाया जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी समाचार–पत्र को चुनाव एवं चुनाव के पूर्व, अपने हित के पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रचलन बढ़ा है। यही कारण है कि धनबल या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण समाचार–पत्र इन दिनों विश्वसनीयता के गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। जहां वह स्वयं से ही द्वंद्व कर बैठा है। समकालीन समय में मीडिया–ट्रायल का प्रचलन भारत में देखा जा रहा है, जहां समाचार–पत्र अपने उद्देश्य से भटक कर कभी पुलिस का तो कभी जज का काम करने लगा है, जिससे देश में एक बहस भी शुरू हुई है। बहस यह कि क्या समाचार–पत्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? इस विषय पर लोगों की अपनी अलग–अलग राय है। कुछ इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं मानते, क्योंकि भय यह है कि इस बहाने पेड न्यूज और पीत समाचार–पत्र का प्रचलन बढ़ेगा जो कि अधिक खतरनाक और घातक है।

समाचार–पत्र पर आधुनिकता और तकनीकी विकास ने समय के साथ अपना अमिट प्रभाव भी डाला है। आज सूचना दिनों की बजाय सकेंडों में आमजन तक पहुंच जाती है। समाचार–पत्र ही देश–दुनिया और समाज की गतिविधियों को जानने का माध्यम है। समय के साथ आये इस बदलाव ने समाचार–पत्र आमजन के लिए और अधिक सुलभ और आसान बना दिया है। आज सूचना और समाचार पाने की कई विधा विकसित हो चुकी है, जिसे तकनीक के आधार पर कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। वर्तमान युग को न्यू समाचार–पत्र का युग माना जाता है, जिसमें ई–समाचार–पत्र और सोशल मीडिया को रखा जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया को ही आज भी अधिक विश्वसनीय और उत्तम माना जाता है।

इतिहास

भारत में समाचार–पत्र का जन्म अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित जेम्स ऑगस्ट हिक्की का 'बंगाल गजट' भारत का पहला अखबार था जिसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के पहले पत्र 1826 में 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशित होने तक अंग्रेजी समाचार–पत्र काफी विकास हो चुका था। बाद के वर्षों में फारसी भाषा में भी समाचार–पत्र का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र हस्तलिखित पत्र होते थे। 1801 में हिंदुस्थान इंटेलिजेंस ओरिऐंटल ऐंथॉलॉजी नाम का संकलन प्रकाशित हुआ। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लीथो पत्र 'हिंदोस्तानी' प्रकाशित करना आरंभ किया। 1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रवर्तन किया। यह पहला बांग्ला भाषी पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र 'समाचार दर्पण' को (27 मई, 1818) शुरू किया। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बंगला भाषा के समाचार 'चंद्रिका' और 'संवाद कौमुदी', फारसी उर्दू के 'जामे जहाँनुमा' और 'शमसुल अखबार' तथा गुजराती के 'मुंबई समाचार' की शुरूआत हुई।

यह स्पष्ट है कि हिंदी समाचार–पत्र बहुत बाद में नहीं आया है। दिल्ली का उर्दू अखबार(1833) और मराठी का दिग्दर्शन(1837), हिंदी के पहले पत्र 'उदंत मार्तंड'(1826) के बाद ही आए। 'उदंत मार्तंड' के संपादक पंडित जुगलकिशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा हिंदी थी, जिसे तत्कालीन संपादकों ने मध्यदेशीय भाषा कहा है। यह पत्र 1827 में आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का सुचारू संचलन संभव नहीं था। कंपनी ने मिशनरियों के सहयोगी पत्र को डाक की सुविधा देती थी, परंतु काफी कोशिश के बावजूद भी 'उदंत मार्तंड' को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। उस दौर में समाचार–पत्र सूचना के साथ–साथ क्रांति का माध्यम भी था। तब क्रांतिकारी संगठन और राजनीतिक संस्थाएं अपनी बात समाचार–पत्र के माध्यम से आवाम तक पहुंचाया करती थी। कब, कहां, क्यों और किस रूप में क्रांतिकारी संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी इसी माध्यम से दी जाती थी। तत्कालीन समय में समाचार–पत्र की अहमियत अकबर इलाहाबादी के इसी शेर के माध्यम समझा जा सकता है–

'खींचो न कमानों को न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो'

अकबर इलाहाबादी का यह शेर से बताता है कि समाचार–पत्र की आजादी की लडाई में कितनी बड़ी भूमिका थी। उस दौर में पत्र छुप–छुप कर क्रांति का अलख जगाती थी।

लोकतंत्र

लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ को लेकर सर्वाधिक मतभेद हैं। इसकी अनेकों व्याख्याएं समय–समय पर की गई हैं। डायसी ने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है 'लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, जिसमें प्रभुत्व–शक्ति समष्टि रूप में

जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता, शासन संबंधी मामले पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य में लोकतंत्र, शासन की ही एक विधि नहीं है अपितु व सरकार की नियुक्ति करने, उसके उपर नियंत्रण रखने तथा अपदस्थ करने की विधि भी है।' लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने भी परिभाषित किया और कहा 'लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा हो'। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को शासन तक सीमित रखना उचित नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंम्बेडकर ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि "लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमे स्वतंत्रता, समता, बंधुता सामाजिक–जीवन का मूल उद्देश्य होता है।"

लोकतंत्र का दावा भी फैशन तरह हो गया है। भले ही वे किसी भी विचारधारा के हों, जैसे अधिनायकवादी, राजशाही, तानाशाही या साम्यवादी हो, हर कोई लोकतंत्र का हिस्सा कहलाना पसंद करता है। आम अर्थ में लोकतंत्र, लोक तथा तंत्र शब्द से बना है। संस्कृत में लोक का मतलब 'जन' और तंत्र का अर्थ 'व्यवस्था' है अर्थात लोकतंत्र, आम आदमी का शासन है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जहां का शासन आम आदमी के अधीन हो। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 7 वां बड़ा देश है। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में भारत को एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया। भारतीय लोकतंत्र में जाति–धर्म, प्रजाति, लिंग के आधार पर विभेद वर्जित है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां दलीय प्रणाली के तहत देश के नागरिक प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। इसी चुनाव के आधार पर चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी देश तथा राज्यों में सरकार बनाती है। जनता द्वारा चुनी सरकार देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत करने की व्यवस्था का अधिकार संविधान एवं कानून प्रदान करते हैं। यह लोकतंत्र की विशेषता ही है कि लोग अपनी सरकार के अव्यवहारिक कार्य के विरूद्ध अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं एवं शांतिपूर्वक धरना–प्रर्दशन के माध्यम से विरोध दर्ज करा सकते हैं (अनु0–19)।

समाचार–पत्र ही वह माध्यम है जो आम जनमानस एवं सरकार के मध्य रिश्तों को मजबूत करता है एवं दोनों को ही सही राह दिखाता है। सार्थक समाचार–पत्र का यह उद्देश्य है कि वह शासन, प्रशासन और समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाए। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है, जब वहां की पत्रकारिता, स्वतंत्र समाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। समाचार–पत्र, लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है, जो कि लोकतंत्र से जुड़ी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को निरंकुश होने से बचाती है और उन्हें जिम्मेदारी का अहसास कराती है। समाचार–पत्र समाज और सरकार के मध्य एक ऐसा आईना है, जिसमें सरकार और समाज दोनों ही अपना प्रतिबिंम्ब देखकर उसमें सुधार कर सकते हैं। समाचार–पत्र निंदक एवं प्रशंसक दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाता है एवं सरकार के विपक्ष की भूमिका के साथ सरकार तथा समाज दोनों को सजग एवं जागरूक करता है। समाचार–पत्र समाज के पीड़ित वर्गो की आवाज है एवं अन्याय तथा उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज बुलंद करने का एक सशक्त माध्यम है। यह व्यवसाय नहीं वरन समाज सेवा का सशक्त माध्यम है। समाचार–पत्र एक दुरूह कार्य है, क्योंकि स्पष्ट लेखनी से समाजद्रोही एवं अराजक–तत्व, पत्रकारों एवं समाचार–पत्र को अपना दुश्मन मानने लगे हैं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में यह लोकतंत्र की प्रहरी बना हुआ है। सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही समाचार–पत्र सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने तथा प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तब के तक ले जाने का दायित्व का निर्वाह ही सार्थक समाचार–पत्र है। इंटरनेट एवं सूचना के अधिकार ने आज की समाचार–पत्र को बहुआयामी एवं अनंत बना दिया है। समाचार–पत्र की पहुंच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक प्रयोग समाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। समाचार–पत्र का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना है एवं वास्तविक घटनाओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना है। समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जनजीवन को विकासोन्मुख बनाना ही समाचार–पत्र का दायित्व है। इन्हीं गुणों के कारण समाचार–पत्र को सरकार और समाज का सेतु भी कहा जाता है।

आज समाचार–पत्रों की भूमिका में परिवर्त्तन आया है एवं वह अपने स्वरूप एवं उद्देश्य में बदलाव ला रहा है। प्राचीन समय में समाचार–पत्र खबरों के प्रकाशन के काम आते थे परंतु आजकल समाचार–पत्रों में लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण विज्ञापनों की अधिकता हो गई है। पाठक समाचार–पत्र खबरों को पढ़ने के उद्देश्य से खरीदते हैं परंतु विज्ञापनों के भरमार के कारण उन्हें निराशा हाथ लगती है। बहुधा यह देखने को मिलता है कि स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव दर्शाया जाता है एवं व्यक्ति विशेष से संबंधित खबरों को छिपाया जाता है तो कई बार कुछ खबरों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व में समाचार–पत्रों की भाषा पूर्ण रूप से साहित्यिक होती थी परंतु अब ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में समाचार–पत्रों की भाषा में बदलाव आ चुका है। पत्रों की भाषा में व्याकरणीय त्रुटि के साथ –साथ देशज शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। भारत में समाचार–पत्र आम जनमानस के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विकिपिडिया के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा समाचार–पत्र बाजार है।

साहित्य सर्वेक्षण

समाचार–पत्र के आम–जनमानस पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के विषय में प्रत्यक्ष रूप में बहुत अधिक कार्य नहीं हुआ है। परंतु परोक्ष रूप से इस विषय से संबंधित प्रभावों का प्रकाशन पत्रकारिता एवं जनसंचार संबंधी पुस्तकों में विषय संबंधी सामग्री के रूप में होता रहा है। साहित्यिक समीक्षा के संदर्भ में समाचार–पत्रों के प्रभाव विषय का सिंहावलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि कालांतर में भी समाचार–पत्र प्रस्तुत विषय के अभाव

से ग्रस्त रहे हैं। आम जनमानस पर समाचार–पत्र के प्रभाव के विषय को देखते हुए, विभिन्न लेखकों एवं पत्रकारों ने समय–समय पर अपनी लेखनी चलायी है।

मनोज दयाल (2003) ने अपनी पुस्तक मीडिया शोध में शोध के विभिन्न पहलुओं को उल्लेखित करते हुए डॉ0 दयाल ने मीडिया के महत्व एवं वर्तमान स्थिति पर विस्तार पूर्वक लिखा है।

जे0पी0 चतुर्वेदी (1992) ने अपनी पुस्तक द इंडियन प्रेस एट द क्रॉसरोड्स में समाचार–पत्रों की स्वाधीनता पर पड़नेवाले दबावों का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। आज समाचार–पत्र, समाचार प्रबंधन का हिस्सा बन गये हैं, जिसका चतुर्वेदी ने कारण एवं प्रभाव के पहलु के मद्देनजर विशेष रूप से उल्लेख किया है।

विनोद भटनागर(1996) ने अपनी पुस्तक द रोल ऑफ प्रेस इन नेशनल रेजरगेन्स में समाचार–पत्र की सकारात्मक भूमिका के विषय में कहा है कि वे राष्ट्रीय एकता में जागरूकता लाने का कार्य कर रहे हैं। भटनागर के अनुसार समाचार–पत्र राष्ट्रीय स्तर पर उस शक्ति को प्ररित करते हैं जो राष्ट्रीय एकता और पुनर्जागरण का कार्य करती है। यह एक खिंचाव की शक्ति (Centrifugal force) है जो देश में पुनः चेतना का आभास कराती है।

प्राक्कल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न प्राक्कल्पनाओं पर आधारित हैं–

1. आधुनिक समय में भारत में समाचार–पत्रों की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है।
2. समाचार–पत्र अभी भी जनसंचार एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है।
3. समाचार–पत्र भारतीय जनमानस में जागरूकता एवं चेतना का संचार कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखत उद्देश्यों पर आधारित है–

1. समाचार–पत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को जानना
2. समाचार–पत्र में राजनैतिक दखल का बढते प्रभाव का अध्ययन करना
3. समाचार–पत्र में बढ़ती व्यवसायिकता के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करना
4. जनमत निर्माण में समाचार–पत्र की भूमिका का अध्ययन करना।

निदर्श एवं अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सोउद्देश्य निदर्शन–प्रणाली के आधार पर 100 व्यक्तियों का अध्ययन के लिए चुनाव किया गया है, जिसमें 4 आयु वर्गों यथा युवा(18–30 वर्ष), वयस्क(31–45 वर्ष), प्रौढ़(46–60 वर्ष) व वृद्ध (60 वर्ष व अधिक) का चयन किया गया, जिनका कि साक्षात्कार–अनुसूची एवं प्रश्नावली के माध्यम से अध्ययन किया गया है। अध्ययन प्रविधि के रूप में अन्वेष्णात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रविधि का चुनाव किया गया है, जिसके माध्यम से आम–जनमानस पर समाचार–पत्रों के प्रभाव की खोज तथा उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण एवं अनुसंधान प्राप्तियां

समाचार–पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद समाचार–पत्र का स्थान आता है। यद्यपि संविधान में समाचार–पत्र के चौथे स्तम्भ होने की बात का उल्लेख कहीं नहीं है, परंतु सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने में मीडिया एवं समाचार–पत्र की अहम भूमिका की कारण हम इसे Forth piller of Constitution कहते हैं। समाचार–पत्र ही लोकतंत्र के प्रमुख तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है। मीडिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं– इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलिविजन एवं न्यू मीडिया तंत्र को रखा जाता है। जबकि समाचार पत्र व पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया में रखा जाता है। आज दुनिया बदल रही है तो समाचार–पत्र में भी काफी बदलाव महसूस किये जा सकते हैं। न्यू मीडिया के आगमन से आज हर कोई पत्रकार है और पत्रकारिता कहीं आसान है तो कहीं बेहद ही कठिन। आज व्यक्ति सूचना के अनेकों माध्यमों का प्रयोग कर रहा है जैसे–टेक्स्ट मैसेज, वीडिया मैसेज, वीडियो कॉलिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, लाईन, हाईक आदि सोशल साईट्स और व्यक्तिगत अन्तःक्रियाएं आदि। बावजूद इनके आज भी समाचार पत्र ने अपना पहचान कायम रखी है तो, यह इसकी समाजिक स्वीकारिता ही है। आज समाचार पत्र सिर्फ अखबार नहीं है, ये जीवन की वो कड़ी है, जिनसे जुड़ने के कारण ही मीडिया एवं समाचार–पत्र जनमाध्यम बन गया है। मीडिया एवं समाचार–पत्र ही वह माध्यम है जो समाज, संस्कृति, राजनीति एवं समाज निर्माता के बीच सेतु का काम कर रहा है। समाचार–पत्र की महती भूमिका समाज निर्माण में है। इसलिए मीडिया एवं समाचार–पत्र वर्तमान में साधन ही नहीं साध्य भी हैं।

आज समाचार–पत्रों की भूमिका मे परिवर्तन आ रहा है एवं यह परिवर्तन समाचार–पत्रों को अपने मूल उद्देश्य एवं सार्थकता से विचलन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। समाचार–पत्रों के उद्योग बनने एवं इसके व्यवसायीकरण में बढ़ोत्तरी होने के कारण इनकी मौलिकता का ह्रास हो रहा है। स्वाधीनता के पश्चात पूंजी के बदलते चरित्र, बाजार के बढते दबाव एवं प्रकाशकों–मालिकों के आर्थिक निहितार्थों के कारण संपादक का महत्व कमजोर हुआ है। पिछले 25 वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता में प्रकाशकों की नई पीढी ने समाचार–पत्रों को निजी उद्योगों की तरह चलाया है। समाचार–पत्र अब देश सेवा, समाज–सुधार एवं व्यवस्था परिवर्तन की भूमिका में नहीं है वरन यह अब एक मूल रूप से व्यवसाय का अंग है। पत्रकार भी अब करियर बनाने एवं नौकरी के उद्देश्य से प्रेरित होकर इस पेशे में आते हैं एवं प्रकाशकों के अनुरूप उन्हें परिवर्तित होना पड़ता है। लिहाजा आज मिशन पत्रकारिता के स्थान पर व्यावसायिक पत्रकारिता का चलन बढ़ चुका है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सूचना–प्राप्ति के माध्यम का प्राथमिक आधार के रूप में समाचार–पत्र–

आज के समय में आम–जनमानस विभिन्न माध्यमों से सूचानाएं प्राप्त कर रहा है एवं अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहा है। वर्तमान समाज तकनीकि आधारित एवं सूचना आधारित हो गया है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति अलग–अलग माध्यमों को सूचना प्राप्ति का साधन बनाते हैं, जैसे युवा वर्ग पर टेलीविजन का प्रभाव अधिक है जबकि प्रौढ़ पर समाचार–पत्रों का। नीचे प्रस्तुत तालिका संख्या–1 विभिन्न आयु–वर्गों पर संचार माध्यमों के प्रयोग पर आधारित है–

तालिका संख्या–1

आयु वर्ग	संचार का माध्यम					संख्या (प्रतिशत)
	समाचार–पत्र	टेलीविजन	रेडियो	पत्रिकाएं	अन्य	
18–30	08	14	0	00	03	25
31–45	04	17	0	02	02	25
46–60	06	14	0	02	03	25
60	15	05	0	03	02	25
योग–						100(100%)

आंकड़े प्राथमिक श्रोत पर आधारित

उपरोक्त तालिका संख्या–1 से स्पष्ट है कि 32 प्रतिशत युवा वर्ग का समाचार–पत्र को सूचना प्राप्ति का प्राथमिक आधार मानता है, वहीं 56 प्रतिशत युवा आज सूचना प्राप्ति का सबसे प्रमुख माध्यम टेलीविजन को मानता है एवं 12 प्रतिशत युवा सोशल मीडिया को न्यू मीडिया के रूप में मानकर सूचनाओं को प्राप्त करता है। अर्थात सूचनाओं की विश्वसनीयता पर सोशल मीडिया अभी वह स्थान नहीं बना पाया है जो स्थान समाचार–पत्र एवं टेलीविजन का है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि समाचार–पत्र अधिकतर वृद्ध एवं प्रौढ आयुवर्ग को आकर्षित करने में सफल रहा है जिसमें वृद्ध वर्ग का 60 प्रतिशत समाचार–पत्र पर ही सूचनाओं हेतु आश्रित है।

समाचार–पत्र का चुनाव के दौरान जनमत–निर्माण में भूमिका

चुनाव के समय संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें समाचार–पत्र प्रमुख है। इस दौरान संचार के सभी माध्यम आम–जनता की आवाज बनने के साथ–साथ व्यावसायिक गतिविधियों एवं जनमत–निर्माण का कार्य भी करती है। चुनाव के समय समाचार–पत्र विशेष रूप से आमजन को प्रभावित करता है एवं समाचार–पत्र की भूमिका पर सभी की विश्वसनियता बनी होती है। समाचार–पत्र, प्रचार–प्रसार का प्रभावी अंग है और इनका एक पाठक–वर्ग है। इसी विश्वसनीयता को आधार बनाकर समाचार–पत्र राजनीतिक दल या समूह का भी प्रचार–प्रसार करने लगता है, जिसका दूरगामी प्रभाव हमारे लोकतंत्र पर पडता है। नीचे दी गई तालिका संख्या–2 समाचार–पत्रों पर आम जनता के मुद्दों से भटकाव या छिपाकर, तथ्यों को प्रस्तुत करना एवं किसी विशेष दल या समूह के लिए जनमत निर्माण के कार्य करने पर आधारित हैं।

तालिका संख्या–2

आयु वर्ग	उत्तर			संख्या (प्रतिशत)
	हाँ	नहीं	आंशिक रूप से	
18–30	06	00	19	25
31–45	14	05	06	25
46–60	06	03	16	25
60	7	00	18	25
योग–				100(100%)

आंकड़े प्राथमिक श्रोत पर आधारित

उपरोक्त तालिका संख्या–2 से यह स्पष्ट होता है कि समाचार–पत्र अब सिर्फ संप्रेषण एवं संचार का ही माध्यम नहीं है वरन यह राजनीतिक दलों के लिए भी जनमत निर्माण का कार्य करता है। तालिका से यह स्पष्ट है कि 56 प्रतिशत वयस्क आज यह मानने लगे हैं कि आज समाचार–पत्र किसी विशेष दल या समूह के लिए जनमत निर्माण का कार्य करने लगे हैं। न्यूज चैनल एवं समाचार–पत्र दोनों के ही विषय में जनमानस कहीं न कहीं इस पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं कि अमुक समाचार–पत्र या न्यूज चैनल किसी विशेष पार्टी का ही प्रचार–प्रसार कर रहा है। 64 प्रतिशत प्रौढ़ वर्ग एवं 76 प्रतिशत युवा वर्ग इस तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकार करता है कि समाचार–पत्र की भूमिका चुनाव के दौरान बदल जाती है।

समाचार–पत्रों में राजनीतिक दबाव एवं दखलअंदाजी

समाचार–पत्र समाज का दर्पण है एवं यह आम जनता के मन–मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। प्रतिदिन छपने वाली सकारात्मक व नकारात्मक खबरों का सीधा प्रभाव पत्र के पाठक–वर्ग पर पड़ता है। राजनीतिक दल या समूह इस बात से भली–भांति भिज्ञ होता है कि अगर समाचार–पत्र उनके दल या समूह के पक्ष में खबरों को छापता व छिपाता है तो उनकी सकारात्मक पहचान जनता के बीच बनेगी। अतः समाचार–पत्र के इसी गुण का लाभ उठाकर राजनीतिक दल अपने कार्यों एवं विचारों को समाचार–पत्र के माध्यम से जनता के सामने बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत कराने हेतु दबाव बनाकर हस्तक्षेप करते है। जिससे कई बार समाचार–पत्र की लेखनी और शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। समाचार–पत्र भी अब अपने मूल उद्देश्य के अलग हटकर अपने पाठक–वर्ग को भुनाने पर लगा हुआ है। नीचे दी गई तालिका संख्या–3 समाचार पत्रों पर बढते राजनीतिक दबाव एवं दखलअंदाजी पर आधारित है।

तालिका संख्या–3

आयु वर्ग	उत्तर			संख्या (प्रतिशत)
	हाँ	नहीं	आंशिक रूप से	
18–30	25	00	00	25
31–45	20	00	05	25
46–60	15	04	06	25
60	20	00	05	25
योग–				100 (100%)

आंकड़े प्राथमिक श्रोत पर आधारित

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि शत–प्रतिशत युवा इस बात से सहमत है कि आज समाचार–पत्रों पर राजनीतिक दबाव एवं दखल अंदाजी हो गयी है। जिस कारण से समाचार–पत्र में खबरों की वास्तविकता का सवर्था अभाव प्रतीत होता है। इन युवाओं का मानना है कि वर्तमान समय में यह स्पष्ट करना मुश्किल हो गया है कि कौन सी खबर वास्तविक है और कौन सी खबर राजनीति हितों से पोषित है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि 16 प्रतिशत प्रौढ़ अभी भी यह मानता है कि राजनीतिक दलों की दखलअंदाजी समचार–पत्र में बहुत नहीं बढ़ी है। एवं 20 प्रतिशत वृद्ध–वर्ग इस तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकारते हैं।

समाचार–पत्रों में बढ़ती व्यावसायिकता और धनकेन्द्रिता

आज समाचार–पत्र भी व्यावसायिकता एवं उद्योग की बयार में बहने लगे हैं। आजादी के बाद समाचार–पत्र की भूमिका में लगातार बदलाव आया है। आज यह उद्योग का रूप ले चुका है, जहां बाजार की प्रतिस्पर्द्धा और गुणवत्ता में द्वंद्व चल रहा है। समाचार–पत्र रीडरशिप के पीछे भागते नजर आते हैं क्योंकि यही रीडरशिप उनके व्यावसाय का आधार है। समाचार–पत्रों में विज्ञापनों की भरमार ने खबरों की जगह को कम कर दी है और यह अत्यधिक व्यावसायिकता और धन केन्द्रिता की वजह से हुआ है। तालिका संख्या–4 समाचार–पत्रों में बढ़ती व्यावसायिकता और धनकेन्द्रिता पर आधारित है।

तालिका संख्या–4

आयु वर्ग	उत्तर			संख्या (प्रतिशत)
	हाँ	नहीं	आंशिक रूप से	
18–30	25	00	00	25
31–45	21	04	00	25
46–60	20	05	00	25
60	25	00	00	25
योग–				100(100%)

आंकड़े प्राथमिक श्रोत पर आधारित

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि शत–प्रतिशत युवा इस बात से सहमत है कि आज का समाचार–पत्र अत्यधिक व्यावसायिक और धन केन्द्रित हो गया है। अर्थात यह स्पष्ट है कि व्यावसायिता के इस युग में समाचार–पत्र अपने–आप को धनकेन्द्रिता की ओर अग्रसर कर रहा है जिस कारण समाचार–पत्रों की भूमिका में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। यहां तक कि शत–प्रतिशत वृद्ध वर्ग भी इस बात की पुष्टि करता है कि समाचार–पत्र की दशा और दिशा में पूर्णतया बदलाव आ चुका है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

समाचार–पत्र और पत्रकार समाज का दर्पण होता है। समाज के प्रति उनके दायित्व बहुत अहम एवं व्यापक होते हैं। उनकी लेखनी लोगों का मार्गदर्शन करती है। इसलिए पत्र का चरित्र एवं आचरण नैतिकता के साथ होना चाहिए। समाचार–पत्रों की रचनात्मक एवं सकारात्मक शैली समाज को सही दिशा दे सकती है एवं व्यक्तियों को एक सूत्र में बांध सकती है। समाचार–पत्र संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। परंतु आज इनकी भूमिका में बदलाव आया है एवं उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है तथा उनमें अत्यधिक व्यावसायिकता दिखने लगा है। समाचार–पत्र अधिक धन केन्द्रित हो गये हैं, जिस कारण वे कई बार तथ्यों को तोड़–मरोड कर एवं छिपाकर प्रस्तुत करते हैं। समाचार–पत्र लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में माने जाते हैं एवं ये जनमानस को जागरूक करते हैं परंतु समाचार–पत्रों की इस विशेषता में भी परिवर्तन आया है। समाचार–पत्र सीमित विचारधाराओं में अब बंधने लगे हैं एवं ये पक्षपातपूर्ण प्रशंसा का अपना रहे हैं।

जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसका दायित्व उतना ही अधिक होता है। समाचार–पत्र स्वतंत्र, निर्भिक, निष्पक्ष एवं सत्य के पक्षधर होते हैं, लेकिन इनका लगातार जागरूक होना जरूरी है। समाज में फैले हुए अत्याचार, अनाचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और अधर्म का विरोध करना ही समाचार–पत्रों का मूल दायित्व होता है। किसी भी राष्ट्र में समाचार–पत्रों की स्वतंत्रता पर न तो अंकुश लगना चाहिए और न ही उन पर किसी प्रकार का दबाव दिया जाना चाहिए। अश्लील और भ्रामक पत्रों पर रोक लगनी चाहिए। संपादक को निर्भय होकर जनता के विचारों को अपनाना चाहिए एवं देश को उन्नति का मार्ग दिखाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अम्बेडकर, बी.आर.(2018), पुनर्मुद्रित, भारत का संविधान, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, ISBN-10: 9385582178, ISBN-13:978-9385582172*
2. *कोवाच बिल एंड रोसेन्सटियल(2014), द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, थ्री रिवर्स प्रेस, न्यूयार्क, ISBN-10: 9780804136785, ISBN-13:978-0804136785*
3. *कुमार, केवल जे. (2013), मास कम्यूनिकेशन ऑफ इंडिया, जयको पब्लिसिंग हाउस, ISBN 81-7224-373-1*
4. *क्यूमो एम. मारियो – होल्जर हेरॉल्ड(2004), लिंकन ऑन डेमोक्रेसी, फॉरधम यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, ISBN-10: 0823223450, ISBN-13:978-0823223459*
5. *राजगढ़िया, विष्णु(2008), जनसंचार, सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लि0, नई दिल्ली, ISBN-978-81-83-61-557-9*
6. *दयाल, मनोज(2003), मीडिया शोध, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला, हरियाणा*
7. *इलाहाबादी, अकबर(2004), प्रतिनिधि शायरी(मजाज लखनवी), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, ISBN-978-8171197149*
8. *भटनागर, विनोद(1996), रूल ऑफ प्रेस इन नेशनल रेजरगेन्स*